तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कैलाश मेघवाल बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 188 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी कैलाश मेघवाल पुत्र खिंयाराम पता 319, मेघवालों का बास, ग्राम मोगड़ा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.08.20 में उसके द्वारा (1) जमाबन्दी ग्राम गुड़ा विश्नोईयां तहसील लूणी जिला जोधपुर के अन्तर्गत खसरा नं. 755, 756, 757 व खाता संख्या 732 की संवत् 2055–2058 के पूर्ववर्ती संवत की जमाबंदी की प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (राजस्व मण्डल अजमेर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जिला कलक्टर जोधपुर को स्थानान्तरित किया गया, जिला कलक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 943 दिनांक 21.10.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर तहसील कार्यालय लूणी से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत तहसीलदार लूणी को कार्यालय के पत्रांक 755 दिनांक 17.09.2020 द्वारा अंतरित किया गया तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। तहसीलदार लूणी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई उसके उपरा[illegible] आदिनांक तक रिपोर्ट प्रेषित नहीं की अतः अपील स्वीकार की जाती [illegible] लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को नि[illegible] कि सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अ[illegible] जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधि[illegible] को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh In
Date: 2020.12.08 14:35:05 IST
Reason: SelfAttested